न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी राजीव बडगूजर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/17/2014 दायर दिनांक 27.11.2014

उनवान

1. चान्दी पुत्री किशना जाति जाट आयु व्यस्क निवासी करूंकडा हाल रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—अपीलान्ट

बनाम

1. उंकार पिता किशना जाति जाट आयु व्यस्क निवासी करूंकडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ।
2. मु0 भोली विधवा किशना जाति जाट आयु व्यस्क निवासी करूंकडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ। (विलोपित)

—रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट अपील विरूद्व

आदेश ग्राम पंचायत करूंकडा नामान्तरण सं 5, दिनांक 22.08.1996

निर्णय दिनांकः 01.08.2024

—:निर्णयः—

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलान्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के इस आशय का प्रस्तुत किया कि—

1. यह कि मुझ अपीलान्ट के पिता किशना जी का देहान्त हो जाने से उनका विरासत का नामान्तरकरण ग्राम पंचायत करूंकडा ने सिर्फ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम पर पारित किया जबकि अपीलान्ट भी मृतक की पुत्री है। जिससे उक्त नामान्तकरण को निरस्त करा मृतक के बजाय अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज करने हेतु यह अपील आवश्यक कोर्ट फिस पर मय तलवाना के श्रीमान् के समक्ष पेश है।
2. यह कि अधिनस्थ पंचायत का निर्णय कानून एवं तथ्यों के विपरीत है।
3. यह कि कानूनन विरासत का नामान्तरकरण वारीसान के नाम पर ही खोला जाना चाहिये अपीलान्ट भी मृतक की वारीस है इस तथ्य को पटवारी, आई0एल0आर0 एवं अधिनस्थ पंचायत ने माना है फिर भी बिना किसी आधार के अपीलान्ट का नाम विरासत दर्ज न कर इस प्रकार का निर्णय दे भारी भूल की है।
4. यह कि अधिनस्थ पंचायत ने मुझे कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया बिना किसी आधार व अधिकार के इस प्रकार का नामान्तरण पारित कर दिया जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.12 14:40:18 IST
Reason: Self Attested

5. यह कि आईएलआर ने भी पटवारी रिपोर्ट के अनुसार वारीसान के नाम पर नामान्तरण दर्ज करने का आदेश दिया फिर भी पंचायत ने गैर कानूनी तरीके से अपीलान्ट का नाम दर्ज न कर इस प्रकार का निर्णय करने में भारी भूल की है।
6. यह कि मियाद बाबत आवेदन मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत है।
7. यह कि अन्य आपत्तिया वक्त बहस निवेदन की जावेगी।

अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमा अधिनस्थ पंचायत का निर्णय संशोधित फरमा मृत्तक किशना जी की विरासत में रेस्पोडेन्ट के साथ अपीलान्ट का नाम भी अंकित किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

हमनें अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये समन तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से आज दिनांक 01.08.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के फौत हो जाने से एवं वारिस अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पूर्व में ही पक्षकार संयोजित होने से दिनांक 26. 09.2017 को नाम विलोपित किया गया। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व अपील पर अपीलान्ट अधिवक्ता की सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि संपति पैतृक है, इन्तकाल संख्या 05 दिनांक 22.08.1996 में अपीलान्ट का नाम अंकन किया गया परन्तु अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने अपीलान्ट का नाम यह कहते हुए दर्ज नहीं किया कि अपीलान्ट विवाहित होकर ससुराल में रहती है, उक्त इन्तकाल विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलान्ट का नाम अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करावे। हमने की गयी बहस पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है व अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर निर्णय लिया जाता है कि ग्राम पंचायत करूंकडा द्वारा पारित आदेश (बाबत इन्तकाल संख्या 05 दिनांक 22.08.1996) को अपास्त किया जाकर तहसीलदार कपासन को अपील इस आशय से रिमाण्ड की जाती है कि नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जाकर मृतक किशना पिता हेमा जाति जाट निवासी करूंकडा के वारिसान की जांच कर सभी पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाकर नियमानुसार नामान्तरण खोलने की कार्यवाही करे। तहसीलदार कपासन को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.12 14:40:18 IST
Reason: SelfAttested

(राजीव बडगूजर)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन